बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 4 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
सोमवार, दिनांक 5.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 4.30 अपराह्न तक

1. आसन की घोषणा

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने घोषणा की कि माननीय सदस्यगण, बिहार विधान परिषद् में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के 6 (छ:) माननीय सदस्यों में से दो तिहाई माननीय सदस्य श्री अशोक चौधरी, श्री रामचन्द्र भारती, श्री दिलीप कुमार चौधरी एवं श्री तनवीर अख्तर जो क्रमश: वर्ष 2014 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, वर्ष 2014 में मनोनीत, वर्ष 2014 में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं वर्ष 2016 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित/मनोनीत हुए थे, ने दिनांक 28.02.2018 को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-4 के उप पैरा-2 के अधीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से अलग होकर जनता दल(यूनाईटेड) में विलय कर लेने संबंधी पत्र, श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़, बिहार विधान परिषद् का इस विलय हेतु जनता दल(यू0) विधायक दल की स्वीकृति संबंधी पत्र एवं जनता दल(यू0) के प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह की भी इस विलय की सहमति संबंधी पत्र के साथ दिनांक 28.02.2018 को मेरे समक्ष उपस्थित हुए।

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-4 के उप पैरा-2 के अधीन माननीय सदस्य श्री अशोक चौधरी, माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र भारती, माननीय सदस्य श्री दिलीप कुमार चौधरी

एवं श्री तनवीर अख्तर से प्राप्त पत्र, श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद् से प्राप्त पत्र एवं श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल (यू0), बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त मैंने उसी दिन बिहार विधान परिषद् में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से अलग हुए समूह को जनता दल(यूनाईटेड) में विलय की मान्यता प्रदान की है। फलस्वरूप विधिक प्रावधानों के उद्देश्य से जनता दल (यूनाईटेड) ही श्री अशोक चौधरी, श्री रामचन्द्र भारती, श्री दिलीप कुमार चौधरी एवं श्री तनवीर अख्तर का राजनैतिक दल समझा जाय।

2. आसन से माननीय उप सभापति महोदय द्वारा आभार व्यक्त किया जाना

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय सदस्य, 4 मार्च, 2018 को बिहार विधान परिषद् में चम्पारण एग्रेरियन विधेयक 1918 की शत्-वार्षिकी समारोह में आप तमाम लोगों के प्रति उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, इस सफल कार्यक्रम में जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विधान सभा अध्यक्ष उपस्थित थे और मुख्य अतिथि और विद्वान वक्ता जो बाहर से आये थे। इन सब लोगों की उपस्थिति में एक सफल कार्यक्रम हुआ, उसके लिए विधान परिषद् के सचिव और सभी उप सचिव, सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण के प्रति हम आसन से उनको धन्यवाद देते हैं और खासतौर से अवधायक शाखा के जो पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको भी विशेष रूप से, इसमें लगे तमाम कर्मियों, बाहर से जो काम करने आए, व्यवस्था में लगे, उन सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कल का यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ । यह निर्णय लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इच्छा व्यक्त की है कि इस कार्यक्रम की प्रति, जो भी भाषण हुआ, इसकी प्रति हम दोनों सदन के माननीय सदस्यों को, पूर्व सदस्यों को बहुत जल्द ही वितरित करायेंगे । आपको यह जानकारी देते हैं कि इस चम्पारण एग्रेरियन एक्ट को आपके सदन को एक सौ वर्ष पहले पारित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो कल शत्-वार्षिकी समारोह मनाया गया, विधान परिषद् में उस एक्ट पर हमारे द्वारा एक टेलीफिल्म भी बना। हम चाहेंगे कि आपलोगों की सहमति हो तो एक दिन हमलोग उसी सभागार में बैठाकर दिखायें। सभी लोग रहें, उसमें माननीय मंत्री लोग भी रहें तो और अच्छा है जब चुनाव वगैरह से फ्री हो जाइये तो हम उसको भी दिखलाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी की आजादी की लड़ाई का पहला रास्ता इसी सदन से जाता है और वह सफलता इसी विधान परिषद् में इसी एक्ट को पारित करने के बाद गांधी जी का हौसला बढ़ा और पूरे देश और दुनिया ने माना कि यह आदमी हिंसा के रास्ते को छोड़कर अहिंसक आंदोलन से इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। यह सौभाग्य इस सदन को प्राप्त है। इस फिल्म को हम आपको दिखलाना चाहते हैं ।

(मेजों की थपथपी)

3. आसन की घोषणा

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह घोषणा की कि आज 5 मार्च को प्रश्नोत्तर काल दो घंटे का होगा। पहले 1 मार्च, 2018 के प्रश्न जो निर्धारित हैं, वे लिये जायेंगे और उसके बाद आज की जो कार्यसूची पर प्रश्न हैं वे लिये जायेंगे। चुनाव की वजह से कुछ माननीय सदस्य भी अनुपस्थित हैं। कुछ माननीय मंत्री भी यहां नहीं दिख रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि जितना ज्यादा संभव हो सके आप अपने प्रभारी मंत्रियों से प्रश्न जो उत्तरित हो सकता है, उसको दिलवाने की कृपा करेंगे ।

4. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104(3) के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है ।

5. **प्रश्नोत्तर काल**

(वर्ग - 4)

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 22, 25, 27 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या - 20, 21, 23 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 24, 26 व्यपगत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 22 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री महोदय, इसको दिखवा लीजिएगा।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 45, 48, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 58 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 50, 42, 44, 56, 57 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 55 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 41 सदन पटल पर रखा गया।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 39 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं, इस बात का भली-भांति संज्ञान लेंगे। सरकार इसपर ध्यान देगी, इस बात का आग्रह मैंने इनसे किया है। सबलोग महसूस करते हैं प्रॉब्लम इसमें है, इसलिए मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहा है कि सरकार संज्ञान में ले।

तारांकित प्रश्न संख्या– 43 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, इसे निष्पादित करेंगे।

(वर्ग - 1)

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या - 28 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- 34, 35 व्यपगत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 30 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, कार्रवाई हो रही है, माननीय मंत्री, उसको फिर से दिखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 62, 69 व्यपगत हुए।
प्रश्न संख्या– 80, 84, 85 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 63 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 66 पर सदन में हो रहे हंगामे को देखते हुए माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों से कहा कि कार्यवाही डायरेक्ट वेबकास्ट हो रही है, आप जो कर रहे हैं, सारे देश और बिहार की जनता उसको देख रही है। आपलोग उच्च सदन के माननीय सदस्य हैं, अपनी और सदन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखें।

साथ ही, माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि आप उसकी जांच कराके कार्रवाई जरूर करावें।

6. आसन की घोषणा

आसन से माननीय उप सभापति महोदय से यह घोषणा की कि माननीय सदस्यगण, माननीय श्री सदानन्द सिंह, नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधान मंडल दल तथा श्री कौकब कादरी, प्रभारी अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी, पटना ने बिहार विधान परिषद् में कांग्रेस दल के माननीय सदस्य, डा. मदन मोहन झा को दल का नेता मनोनीत किए जाने की सूचना दी है।

मैं प्राप्त सूचना के आलोक में बिहार विधान परिषद् में कांग्रेस दल के नेता के पद पर डा. मदन मोहन झा के मनोनयन को मान्यता देता हूं।

7. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

8. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित राशि से अधिक वसूली के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, डा० संजीव कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वाटर प्यूरीफायर/चिलर-कम-प्यूरीफायर की अनुशंसा का प्रावधान निर्देशिका में समाहित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय द्वारा राज्य में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को रोकने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय द्वारा गोपालगंज जिला में पंचायत समितियों की बैठक एवं कार्यवाही के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कपिलदेव कामत ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि एक बात और, माननीय मंत्री महोदय, यह सुनिश्चित रहना चाहिए कि जिले के अंदर के जो जन प्रतिनिधि हैं, एम.एल.सी. हैं, वे कई क्षेत्रों से चुनाव जीतकर आते हैं, तो उस पंचायत समिति की बैठक में जो उस जिला के वोटर हैं या वहां से जीतकर आते हैं, दोनों मेम्बर होते हैं। आपके विभाग में इसमें स्पष्ट नहीं है। इसे भी आप स्पष्ट करवा दीजिए और निर्देशित कीजिए कि जन प्रतिनिधि को बैठक में सूचना दें और बुलावें। चूंकि यहां विधान परिषद् में उनके प्रतिनिधियों की संख्या काफी है तो उनका प्रतिनिधित्व वहां भी होना चाहिए, इसमें आपका सहयोग चाहिए।

(अंतराल)

5. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा वैशाली जिलान्तर्गत बी.पी.एल. और अन्त्योदय योजना के तहत मिलनेवाली सामग्री के वितरण में अनियमितता बरते जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह द्वारा भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखंड के ग्राम-बचरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभुकों के मकान निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

7. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह द्वारा स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा बरती जा रही उदासीनता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने वक्तव्य दिया।

8. माननीय सदस्य, श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड स्थित शिलापट्ट में स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

9. माननीय सदस्य, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव द्वारा नालंदा जिलान्तर्गत हिलसा प्रखंड के हिलसा-चिकसौरा होते हुए पटना के पभेड़ी मोड़ के पास पटना-जहानाबाद मुख्य सड़क में मिलनेवाली सड़क के निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

10. माननीय सदस्य, डा० उपेन्द्र प्रसाद द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत सकरी-मधुबनी मुख्य मार्ग से बजरंगबली मंदिर से ढ़िबजा राईस मिल होते हुए एल.बी. पथ तक सड़क निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री शैलेश कुमार ने वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

9. वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, डा. रामबचन राय ने आसन ग्रहण किया)

2. श्री रामलषण राम रमण

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

3. श्री सुबोध कुमार
4. श्री रजनीश कुमार
5. डा. दिलीप कुमार चौधरी

10. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री सुबोध कुमार
3. डा. उपेन्द्र प्रसाद
4. श्री राधाचरण साह

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 6.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

5/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।

ज्ञापांक- 360 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 5.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 5/3/2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद् ।